



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275558
CG-DL-E-19082026-275558

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507]
No. 507]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2026/श्रावण 27, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2026/SHRAVAN 27, 1948

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2026

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (1586).— भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1) **संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1188)** दिनांक 20 मार्च 2025 (प्रकाशित दिनांक 24 मार्च 2025)

अनुसूची के क्रम संख्या 08, कॉलम (5) में — '18 सितम्बर 2025' को '18 सितम्बर 2026' से प्रतिस्थापित करें।

2) संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1420) दिनांक 03 फ़रवरी 2026 (प्रकाशित दिनांक 10 फ़रवरी 2026)

अनुसूची के क्रम संख्या 01, कॉलम (5) में — '02 अगस्त 2026' को '02 फ़रवरी 2027' से प्रतिस्थापित करें।

एस. के. वर्मा, वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./276/2026-27]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th August, 2026

Ref: HQ-PUB-BIS (1586).— Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) Ref no. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1188) dated 20 March 2025 (Published on 24 March 2025)

Sl No. 08, column (5) of schedule — Substitute '18 September 2026' for '18 September 2025'.

2) Ref no. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1420) dated 03 February 2026 (Published on 10 February 2026)

Sl No. 01, column (5) of schedule — Substitute '02 February 2027' for '02 August 2026'.

S. K. VERMA, Scientist F & DDG (Hallmarking)

[ADVT.-III/4/Exty./276/2026-27]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082026-275559
CG-DL-E-18082026-275559

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508]
No. 508]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2026/श्रावण 27, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2026/SHRAVAN 27, 1948

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2026

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (1587).— भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1) **संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1072)** दिनांक 16 अक्टूबर 2024 (प्रकाशित दिनांक 29 अक्टूबर 2024)

अनुसूची के क्रम संख्या 01, कॉलम (5) में — '08 अप्रैल 2025' को '31 दिसम्बर 2027' से प्रतिस्थापित करें।

2) **संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1156)** दिनांक 28 जनवरी 2025 (प्रकाशित दिनांक 10 फ़रवरी 2025)

अनुसूची के क्रम संख्या 01, कॉलम (5) में — '22 जुलाई 2025' को '31 दिसम्बर 2027' से प्रतिस्थापित करें।

एस. के. वर्मा, वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./277/2026-27]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 11th August, 2026

Ref: HQ-PUB-BIS (1587).— Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) Ref no. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1072) dated 16 October 2024 (Published on 29 October 2024)

Sl No. 01, column (5) of schedule — Substitute ‘31 December 2027’ for ‘08 April 2025’.

2) Ref no. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1156) dated 28 January 2025 (Published on 10 February 2025)

Sl No. 01, column (5) of schedule — Substitute ‘31 December 2027’ for ‘22 July 2025’.

S. K. VERMA, Scientist F & DDG (Hallmarking)

[ADVT.-III/4/Exty./277/2026-27]